

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा

(म0प्र0)



III/ निगम/रीवा/2017/2776
 प्रसेनजीत सिंह तनय यशवंत सिंह निवासी भदौली, थाना-बदलापुर,
 तहसील-बदलापुर, जिला-जौनपुर (उ0प्र0) मुख्तारआम प्रदीप पटेल तनय अरूण
 पटेल निवासी मोहल्ला शारदापुरम समान, तहसील-हुजूर जिला-रीवा (म0प्र0)

30/-

.....आवेदक / निगरानीकर्ता

विरुद्ध

- 1-बद्री प्रसाद मिश्र तनय हनुमान प्रसाद मिश्र
 - 2-मोहनलाल मिश्र तनय हनुमान पसाद मिश्र
- दोनो निवासी अमिलहा, तहसील-गुढ, जिला-रीवा (म0प्र0)

.....अनावेदक / गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50
 म0प्र0 भू0 रा0 सं0
 निगरानी विरुद्ध प्र0 क0
 36/अ-12/16-17 आदेश
 दिनांक 28.07.2017 नायब
 तहसीलदार गुढ सर्किल
 दुआरी

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं:-

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत एवं अधिकारिता विहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- 2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिन में पीठासीन अधिकारी के द्वारा अपने वैवाहिक संबंधों को निभाने के लिये लिपिबद्ध किया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।
- 3- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी तथा अनावेदक सगे संबंधी होने के कारण स्वयं ही सम्पूर्ण कार्यवाही अपने हाथों से की है तथा

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ


क्रमांक III / निग0 / रीवा / भू-रा0 / 2017 / 02776

जिला-रीवा

प्रसेनजीत सिंह / बट्टी प्रसाद मिश्रा

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कामता प्रसाद गुप्ता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, सर्किल दुआरी, तहसील गुढ़ के प्रकरण क्रमांक 36/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील गुढ़, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p>	

म


(बी.एम.शर्मा),
सदस्य